रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 19 दिसम्बर, 1994/28 अग्रहायण, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 19 दिसम्बर, 1994

संख्या 1-85/94-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (1994 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 19 दिसम्बर, 1994 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, की एक

3311-राजपत्र/94-19-12-94—1,220. मूल्य : 1 रुपया

प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित की जाती है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1994 का विधेयक संख्यांक 22.

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1994 है ।

धारा 10 का संशोधन ।

1976 का 23

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में "दो लाख" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 21 में "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21-अ का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 21-अ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"21-अ. —**मुख्य न्यायाधीश को लम्बित वादों, अपीलों, कार्यवाहियों को अधीनस्थ सिविल न्यायालयों को अन्तरित करने की शक्ति.**—हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी वाद, अपील या कार्यवाहियों को जो हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है या हैं, हिमाचल प्रदेश में किसी ऐसे अधीनस्थ सिविल न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जिसे ऐसे वाद, अपील या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता होती, यदि ऐसा वाद, अपील या कार्यवाहियां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार संस्थित या दायर की जाती ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मुकद्दमेबाजी को कम करने और उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, सिविल न्यायालयों की धनीय आरम्भिक और अपीलीय अधिकारिता को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के ध्यान में आता रहा है। प्रदेश के दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को उच्च-न्यायालय के समक्ष अपने मुकद्दमों की पैरवी करने में काफी असुविधा होती है और अधिक धन खर्च करना पड़ता है। छोट-छोटे मामले अधीनस्थ और सिविल न्यायालयों में बहुत सुविधापूर्वक निपटाए जा सकते हैं। इसलिए, जिला न्यायालयों की धनीय-अधिकारिता को सिविल आरम्भिक मामलों में दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक और अपील के मामलों में पचास हजार रुपए से दो लाख रुपए तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख 19 दिसम्बर, 1994.

वित्तीय ज्ञापन

शून्य।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 1994.

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 1994

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 1994.

Amendment of section 10

23 of 1976

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (hereinafter called the principal Act), for the words "two lakh", the words "five lakh" shall be substituted.

Amendment of section 21.

3. In section 21 of the principal Act, for the words "fifty thousand", the words "two lakh" shall be substituted.

Substitution of section 21-A.

4. For section 21-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"21-A. *Powers of the Chief Justice to transfer pending suits, appeals or proceedings to Subordinate Civil Courts.*—The Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh may transfer any suit, appeal or proceedings which is or are pending before the High Court of Himachal Pradesh immediately before the commencement of the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 1994 to such a Subordinate Civil Court in Himachal Pradesh which would have jurisdiction to entertain such suit, appeal or proceedings, had such suit, appeal or proceedings been instituted or filed for the first time after such commencement."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to reduce the quantum of litigation and to ensure the speedy disposal of the cases pending before the High Court, the question of enhancing the pecuniary original and appellate jurisdiction of the Subordinate Civil Courts has been engaging the attention of the Government. The people hailing from far-flung hilly areas of the Pradesh face great inconvenience and incur heavy expenditure in pursuing their matters before the High Court. Petty matters can be more conveniently disposed of in the Subordinate and Civil Courts. It has, therefore, been considered necessary to enhance the pecuniary jurisdiction of the District Courts in the Civil original matters from two lakhs to five lakhs and in appeal cases, from Rs. 50,000 to two lakh rupees.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The 19th December, 1994.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

निर्यंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।